न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :16 / 2023 **FSSA**

1. सरकार जरिये डॉ. मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन एफ.बी.ओ. मैसर्स ब्रजवासी मिल्क प्रोडक्ट, गुढा कटला रोड बांदीकुई जिला दौसा निवासी न्यायालय के पीछे गुढा कटला रोड बांदीकुई जिला दौसा।
   — अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(**II**) एवं दंडनीय धारा 51

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः—30.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2022 को 03.32 **PM** पर मैसर्स ब्रजवासी मिल्क प्रोडक्ट, गुढा कटला रोड बांदीकुई जिला दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन मिला। जिसको अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर विक्रेता ने स्वयं को मैसर्स ब्रजवासी मिल्क प्रोडक्ट, गुढा कटला रोड बांदीकुई जिला दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स ब्रजवासी मिल्क प्रोडक्ट, गुढा कटला रोड बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि दो एल्यूमिनियम की कैन में 5—5 किग्रा घी खुला आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ घी खुला को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दो एल्यूमिनीयम की कैन में से एक कैन का चयन कर उसमे से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु 800 ग्राम घी खुला एक साफ व सूखे स्टील के जग में नियमानुसार क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 800 ग्राम के एक पैकिट के 416/— (अक्षरे चार सौ सोलह रूपये) नकद देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी खुला को 200—200 ग्राम घी को इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शीशियों में भरकर प्रत्येक को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया। प्रत्येक डिब्बे को खाली कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG-3086** अंकित किया एवं नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर [illegible] को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता [illegible] गवा[illegible] के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर [illegible] रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा [illegible] विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:12:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय दौसा को दिनांक 17.10.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवंस्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 17.10.2022 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ घी खुला की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./764/एक्ट/2022/768 दिनांक 27.10.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी खुला अवमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। निदेशक रैफरल लेबोरेट्री मैसुर के पत्र क्रमांक एफ.टी./एक्यू.सी.एल./एफ.एस.एस.ए./(1102–F)/2022 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार भी उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित रहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./764/एक्ट/2022/768 दिनांक 27.10.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी खुला के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Reichert Meissl Value** 19.9 पाई गई है जो कि मानक स्तर के अनुसार 24.0 से कम नहीं होनी चाहिये। **Polenske Value** 4.60 पाई गई है। जो कि तय मानको से अधिक पाई गई है। नमूने में **Iodine Value** 44.12 पाई गई है जो कि मानक स्तर के अनुसार 25.0 से 38.0 के मध्य होनी चाहिये। **Saponification Value** 246.13 पाई गई है। जो मानक स्तर के अनुसार 205.0 से 235.0 के मध्य होनी चाहिये थी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि रैफरेल फूड लेबोरेट्री मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ घी खुला के नमूने की जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading** 39.95 पाई गई है जो कि 40 से 44 के मध्य होनी चाहिये थी। **RM Value** 20.17 पाई गई है जो कि मानक स्तर के अनुसार 24.0 से कम नहीं होनी चाहिये। उक्त नमूने में वनस्पति तेल की मात्रा पॉजीटिव पाई गई है। जो कि निगेटिव होनी चाहिये थी।

इस प्रकार से खाद्य विश्लेषक अलवर एवं रैफरेल फूड लेबोरेट्री मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी खुला का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी खुला का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 [illegible] धारा 2(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर एवं रैफरेल फूड लेबोरेट्री मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर एवं रैफरेल फूड लेबोरेट्री मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी खुला का नमूना एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1)(**Z**)(**X**) का उल्लंघन होने से अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी खुला का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी खुला का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन एफ.बी.ओ. मैसर्स ब्रजवासी मिल्क प्रोडक्ट, गुढा कटला रोड, बांदीकुई जिला दौसा पर 5,00,000 /– (अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.12.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSS**A/2024/** दिनांकः– 30.12.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन एफ.बी.ओ. मैसर्स ब्रजवासी मिल्क प्रोडक्ट, गुढा कटला रोड बांदीकुई जिला दौसा निवासी न्यायालय के पीछे गुढा कटला रोड बांदीकुई जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:12:59 IST
Reason: SelfAttested